17/04/2025

– प्रकरण पेश।

– प्रकरण में अनावेदक महबूब अंसारी व अर्पण लकड़ा स्वतः उपस्थित।

– अनावेदकगण महबूब अंसारी, आरिफ अंसारी, कृष्णा प्रसाद व अर्पण लकड़ा का कथन अंकित किया गया।

– प्रकरण में तहसीलदार सामरी से जांच प्रतिवेदन आहूत किया गया। तहसीलदार सामरी द्वारा जांच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि अनावेदक महबूब अंसारी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर– 753 रकबा 0.825 हे. से यूकेलिप्टस प्रजाति के 325 एवं वर्ष 2024 में आम के 06 वृक्षों के काटने की अनुमति ली गई थी, उनमें से यूकेलिप्टस के 04 वृक्षों की कटाई शेष थी फिर से अनुमति लेने की आवश्यकता के संबंध में जानकारी नही होने के कारण बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिये बिना दो माह पूर्व महबूब अंसारी के कहने पर आरिफ अंसारी द्वारा कटवाया गया था एवं दिनांक 11.04.2025 को वाहन (ट्रक) क्रमांक– OD 14H 5369 के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था। बिना सक्षम अनुमति के वृक्ष को काटना छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 253 के तहत उल्लंघन की श्रेणी में आता है एवं दण्डनीय है। अतएव अनावदेक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के लिये छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 253(1) के तहत अर्थदण्ड/जुर्माना अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

– प्रकरण का अवलोकन किया गया।

– तहसीलदार सामरी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन से सहमत।

– प्रकरण में अनावेदकगण के कथन एवं तहसीलदार सामरी के जांच प्रतिवेदन में पाये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि अनावेदक आरिफ अंसारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना 04 वृक्षों की कटाई की गई है। अतएव छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 253(1) में विहित प्रावधानानुसार **"कोई भी व्यक्ति जो इस अध्याय के या इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करेगा, या जो किन्ही नियमों या वाजिब–उल–अर्ज में दर्ज की गई रूढ़ि का उल्लंघन करेगा या उनका अनुपालन नहीं करेगा या निस्तार पत्रक में की गई किसी प्रविष्टि को भंग करेगा, (पच्चीस हजार रूपये) से अनधिक ऐसी शास्ति का दायी होगा"** अनावेदक द्वारा उक्त धारा के अधीन बनाये गये उपबंधों का उल्लंघन किये जाने से उनके विरूद्ध प्रत्येक वृक्ष के 25,000/– (पच्चीस हजार) रूपये के मान से 04 वृक्षों का कुल 1,00,000/– (एक लाख) रूपये शास्ति अधिरोपित किया जाता है।

– उक्तानुसार प्रकरण में अनावेदक द्वारा अधिरोपित शास्ति अदा किये जाने पर थाना प्रभारी को वाहन सुपुर्दगी हेतु ज्ञापन जारी कर प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अ0वि0अ0 (रा0)
कुसमी

अनावेदक आरिफ अंसारी द्वारा अधिरोपित शास्ति रूपये 1,00,000/- (एक लाख) C.G.T.C बुक क्रमांक- 162704 सिरियल क्रमांक-03 एवं 04 के माध्यम से (50,000, 50,000) रूपये अदा किया गया। पश्चात थाना प्रभारी को ज्ञापन जारी किया गया।
17/04/2025